

अनुसूची 14—कारम चं 511.

309527

जिल्द-संख्या 01/25-26 तिथि 2025.....

किससे प्राप्त हुआ पिता - मोहनलखवाल
ग्राम - धुसकी पट्टी रहमानगांज पोस्ट +
किस मदे धाना - जीरावनी गांजा - अराइया

बिहार विधान सभा उपायम्	रकम
निर्विधन - 2025	₹ 10,000/-
नामांकन शुल्क	
46 - नामांकन	
मुकद्दमा के रूप में	
कुल	10,000/-

मोहनलखवाल (माजा)
(केवल रुपये पैसे)



तारीख 18/10/2025

प्राप्त करनेवाला बदाइलायी।

मिल गया प्रैस, नवा।
अनुमति नामांकन
फाराणिसगंज

Notary Forbesganj, (Araria)



प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)



AFFIDAVIT No. 3702
20/10/2025

46 नरपतीगंज,

उपायन-सत्र से

बिहार विधानसभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा
नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

श्राम-धुवकी पही इमारतगंज छोटा धान जोगवनी जिला-अयोध्या

मैं, द्वारुण पुत्र/पुत्री/पत्नी मी. जलखन आयु 40 वर्ष, जो (डाक का पूरा पता
लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती
हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

- (1) मैं जनता दल शास्त्री हूं (राजनैतिक दल का
नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/“एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(“जो लागू न हो उसे काट दे”)
- (2) मेरा नाम 4.8 बिहार विधानसभा (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 35..... के क्रम
सं. 984..... पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9060232030 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और लागू न हो देता/देती है/हैं। मेरा ईमेल पता
(यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित

लागू न हो देता


लागू न हो देता

लागू न हो देता

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं लागू न हो देता	लागू न हो देता	लागू न हो देता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
2.	पति/पत्नी लागू न हो देता	लागू न हो देता	लागू न हो देता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य

	लागू नवी होता	लागू+नवी होता	लागू नवी होता	शैल्य	(v) शैल्य
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू+नवी होता	लागू नवी होता	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य
4.	आश्रित - 1	लागू+नवी होता है	लागू नवी होता	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य
5.	आश्रित - 2	लागू नवी होता	लागू नवी होता	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य
6.	आश्रित - 3	लागू नवी होता	लागू नवी होता	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य	शैल्य (i) शैल्य (ii) शैल्य (iii) शैल्य (iv) शैल्य (v) शैल्य



स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए की "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के समने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें — और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	पुलिस थाना काठड़ ३००-२६६/२२ लू नृकरण ०-१६५९२३/१६	शैल्य	शैल्य
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	Judicial Magistrate, Court-1-Civil Annex, 2R Court No 0165923/16	शैल्य	शैल्य
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् 341, 379, 504, 506, 420, 406, 341, 323, 324, 354, 280, 442, 504, 102)	341, 379, 504, 506, 420, 406, 341, 323, 324, 354, 280, 442, 504, 102	शैल्य	शैल्य

भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(घ) अपराध का संक्षिप्त विवरण	मारपीट रवं	लूटपाट रवं	भ्रष्टाचारी चमकी फ़ि
(ड) क्या आरोप विरचित किए गए हैं, (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	शुन्य	शुन्य
(च) यदि उपर्युक्त मद (ड) के सामने उत्तर हाँ है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता	शुन्य	शुन्य
(छ) क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	शुन्य	शुन्य

(6) दोषसिद्धि के मामले,—

(i) मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे
विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

यदि नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू नहीं होता
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त
विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क) मामला संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख) न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग) अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ) अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ड) दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च) अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ) क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज) यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्ध के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दलों को पूरी और अद्यतन सूचना दी है। **मैं भी नहीं उठी सूचना देदी हूँ।**

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

- ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
- प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
- ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
- यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
- अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।



(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – “आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, वाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दे जाने हैं।

टिप्पण 6 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्थानित्य या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए “अपतट आस्तियों” पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं।

४/३५

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	45000.00 चोलारेखना	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं होता -	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और अपार्सियों से अन्य प्राप्त तथा उनमें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	सेटर वाहन / वायुयान / याच / पात (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	1 Mahindra & HCL 2014 किमत 100000.00 रेजिस्ट्री ब्रॉड E 1398	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	02 BajajPulsar Price 16000/- ₹/Litre 10 Blazr / 5000/- Silver 2000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	₹ 1168000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

卷之三

स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	०३-०९-२००४	लागू नहीं होता				
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	74000/-	लागू नहीं होता				
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता					
अनुमानित वर्तमान मूल्य	4000000/-	लागू नहीं होता				
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	लागू नहीं होता				
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	1000000/-	लागू नहीं होता				

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य देयता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	देयताओं का सकल योग						
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विवाहों को शोध्य			क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है?	हाँ/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाए)	-	-
				ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-			
	(i) सरकारी आवास का पता:			(i) सरकारी आवास का पता:			
				लागू नहीं होता			
				लागू नहीं होता			
				लागू नहीं होता			
	(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध संदेय नहीं है-			(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध संदेय नहीं है-			
				(क) भाटक;	लागू नहीं होता	-	-
				(ख) विद्युत प्रभार;			
				(ग) जल प्रभार; और			
				(घ)(तारीख) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार			
				उस मास से, जिसमें			

६१२३६



		निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीक होनी चाहिए। टिप्पण— उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	जीएसटी शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	नगरपालिका / संपत्ति पर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्रधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।—	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या संपत्तीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मंजदूरी
FORBESGATE (PVT) LTD
Reg. No. 16122013/13
(ख) पति/या पत्नी मंजदूरी
Ex 022-01-2013

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे :

(क) स्वयं मंजदूरी
(ख) पति/या पत्नी मंजदूरी
(ग) आश्रित के आय के स्रोत, यदि कोई हों लागू नहीं होता

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ—

(क) अम्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होता
(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होता
(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होता
(घ) हिंदू अविवक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होता
(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है लागू नहीं होता
(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है लागू नहीं होता

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है :-

पांचवा यास - अरोक्ती इकुल मेवा तुह लंबिता ।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम
विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस
वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

८/८७



भाग—ख

(11) भाग—क के (1) से (10) में तक में दिए गए व्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु हारजन					
2.	डाक का पूरा पता	आम धुसकी पहाड़ी स्टमानगंज, पौष्ट+थाना - जोगवनी जिला - अररिया।					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	46 नरखतगंज विधान सभा, विधान					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	जनता दल राष्ट्रवादी					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	02					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	शून्य					
7.	स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है					
(क) अभ्यर्थी	APX PH88 21 E	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
	(ख) युक्ति-या पत्ती	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
	(घ) आश्रित	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
8.	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्ती	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ख.	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
i	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 40000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य पांच लाख रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
iii	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य— (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विराज्मी आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 00000/- शून्य मूल्य	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू +५० होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता

४/३/०७

9	देयताएं	शून्य					
i	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	लागू नहीं होता				
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं होता				
10	ऐसे देयताएं जो विवादाधीन हैं	शून्य					
i	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	लागू नहीं होता				
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं होता				
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।

(क) मेरे उल्लिखित, अभिसाक्षी इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(ख) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख 20 - 10 - 2021

को सत्यापित किया गया।

८/१०

Identify By

SUNIL KUMAR
Advocate
ENR No.B/10/2021
Civil Court, Forbesganj (Araria)

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1 शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अतिम दिन 23.00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी परिवाक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3 सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4 शपथपत्र या तो टंकित या सुपादय रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- टिप्पण: 5 शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एच-11019/04/2018-विधि-॥ दिनांक 10.10.2018 और सं. एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)

Mr. Sunil Kumar
who is identified by S. Sunil Kumar
Advocate solemnly affirms and declares before me on
20/10/2021

Binod Kumar
NOTARY
Forbesganj Araria (Bihar)